रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2082] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2,1937
No. 2082] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2015

का.आ. 2631(अ).--केन्द्रीय सरकार, अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5क के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा जल विवाद अधिकरण के सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति श्री राम मोहन रेड्डी, कर्नाटक उच्च न्यायालय के आसीन न्यायमूर्ति को नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 451(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की क्रम सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(iii) न्यायमूर्ति श्री राम मोहन रेड्डी,

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश - सदस्य ।"।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में,

[फा.सं.17/5/2012-बीएम]

डॉ. बी. राजेन्दर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, सं. का.आ. 451(अ) तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3009(अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2012 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2015

S.O.2631(E).– In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 read with section 5A of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby appoints Mr. Justice Ram Mohan Reddy, a sitting Judge of the Karnataka High Court, as the Member of the Krishna Water Disputes Tribunal and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources number S.O.451(E), dated the 2nd April, 2004, namely:–

In the said notification, for serial number (iii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:–

"(iii) Mr. Justice Ram Mohan Reddy,

Judge of the High Court of Karnataka – Member.".

By Order and in the Name of the President of India,

[F. No.17/5/2012-BM]

Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O.451(E), dated the 2nd April, 2004 and subsequently amended vide number S.O.3009 (E), dated the 27th December, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.